संख्या–भा.स.183 / 14–2–2017–800(94) / 2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 22 सितम्बर, 2017**

विषय :– बहराइच वन प्रभाग के अन्तर्गत एन0एच0–730 के किमी0 248.400 से किमी0 280.00 तक (बहराइच–श्रावस्ती सेक्शन) मार्ग चौड़ीकरण परियोजना हेतु 20.072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधाक 2320 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग के अन्तर्गत एन0एच0–730 (बहराइच–बलरामपुर मार्ग) के किमी0 280 से 310 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 14.991 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2322 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 35.063 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 4642 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 61 / 2017 / एफसी / 103 दिनांक 18.09.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2– विषयगत प्रकरण में प्रस्ताव की 02 प्रतियां भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 18.09.2017 में अंकित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : प्रस्ताव की 02 प्रतियां।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Data D. SO.Nodal.GO